न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 71/2019 Gcms No 2019/00335

दायरा तिथि : 02.12.2019

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 25.04.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 28-09-22

वादी:–

मेगराज पुत्र भीकारामजी जाति ब्राहमण
निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रमेश कुमार पुत्र भीकारामजी जाति ब्राहमण
   निवासी भन्दर तह0 बाली हाल रमेश एन्टरप्राइजेज, हीरा महला
   तीसरा माला रूम नं 21 कालबादेवी रोड मुम्बई–2
2. गणपतलाल पुत्र जेठारामजी जाति ब्राहमण
   निवासी भन्दर तहसील बाली हाल राज रतन टेक्सटाईल
   रूम नंबर 299/301 गोदरेज बिल्डिंग, तीसरा माला कालबादेवी रोड मुम्बई–2
3. उमा शंकर पुत्र भीकारामजी जाति ब्राहमण
   निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थिति:–

1.श्री मूलसिंह यादव..................... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री ओमदवे .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, की ओर से
3. तहसीलदार, बाली ....पेरोकार सरकार

दिनांक : 28-09-22

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349 कुल खसरा–07 कुल रकबा 3.17 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम व गै.मु. कुल लगान 53.75 रूपये के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य पुर्व में हुये मौखिक वंटवाडा अनुसार वादी के कब्जे काश्त की भूमि का 1/3 हिस्सा अनुसार व प्रतिवादी संख्या संख्या–01 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का (क्रमशः 1/4, 1/12 हिस्सा) = 1/3 हिस्सा अनुसार विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श–02, नजरी नक्शा प्रदर्श–01, वादग्रस्त भूमि का नक्श प्रदर्श–03 की प्रति पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह P.W. 01 वादी स्वयं के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमदवे के माध्यम से जवाबदावे पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की संयुक्त सह खातेदारी होना एवं उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–02 का 1/6 हिस्सा निहित होना जाहिर करते हुये रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या–03 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में वर्णित किया गया कि वादग्रस्त भूमि जो कि बेरा बिलियावा के नाम से जानी पहचानी जाती है, उक्त भूमि भाई बन्ट में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के बन्ट में रखी गई है, तथा इस भूमि पर मौके पर प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ही काबिज है, रेकर्ड में भूमि जरूर संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज है, परन्तु मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या–02 का कब्जा काश्त नहीं है। वादी को उसके पिता के जीवनकाल में अन्य भूमि खसरा नंबर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 860, 809 हिस्से बंट में रखी गई है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त उसके पिता के जीवनकाल से चला आ रहा है। इस भूमि के किसी भू0 भाग पर कब्जा काश्त नहीं होते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम के आधार पर इस भूमि में भी हिस्सा लेने के ईरादे से गलत तौर से उक्त वाद पेश किया है, जो खारिज किया जावे। दावे व जबावदावो के आधार पर प्रकरण में वाद बिन्दु कायम किये गये। इसके साथ ही वाद के चलते वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्सा के खातेदार उमाशंकर पुत्र भीकाराम द्वारा अपने 1/3 हिस्सा मेंसे 1/2 हिस्सा का बेचान प्रतिवादी संख्या–02 गणपतलाल पुत्र जेठाराम जाति ब्राहमण निवासी भन्दर को बेचान करने से वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का स्वीकार करते हुये संशोधित वादपत्र प्राप्त किया गया। वादी पक्ष के बयान होने के पश्चात् प्रतिवादी पक्ष को अपने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये न्यायालय द्वारा कई मर्तबा समय/अवसर प्रदान किये जाने के बावजुद गवाह प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 28.03.2022 को प्रतिवादी पक्ष के साक्ष्य का अवसर बन्द करते हुये पत्रावली को बहस के लिये रखा गया। दिनांक 12.04.2022 को उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील वादी श्री मूलसिंह यादव ने बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये वादी के 1/3 हिस्सा अनुसार मौके पर पुर्व में किये गये विभाजन के अनुसार, जिसका नजरी नक्शा प्रदर्श–01 है, के अनुसार वादी के बंट में भूमि रखते हुये इसी अनुसार रेकर्ड में दर्ज हिस्सा माफिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य विभाजन की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। वकील वादी की दलीलो का खण्डन करते हुये विद्वान् वकील ओमदवे द्वारा बहस में प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि के किसी भू0 भाग पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि भाई बन्ट में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 के हिस्से बंट में रखी हुई है, जिससे वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र कब्जा व काश्त प्रतिवादी संख्या 01 व 03 का ही है।

पेज लगातार...02

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 71/2019 **Gcms No 2019/00335**

अनवान मेगराज बनाम रमेश कुमार वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

वादी को उसके पिता के जीवन काल में भाई बन्ट में दूसरी भूमि खसरा नंबर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 860, 809 में दी गई है, जिस पर वादी काबिज काश्त है। वादी ने सही तथ्यो को छुपाकर उक्त वाद पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं होने खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से यह प्रमाणित हैं कि ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349 कुल खसरा–07 कुल रकवा 3.17 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम व गै.मु. कुल लगान 53.75 रूपये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम से संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज है, तथा वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है। विधि के प्रावधानो अनुसार रेकर्ड में दर्ज सभी सह खातेदार सहमत होने पर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपनी भूमि का विभाजन करवा सकते हैं। यदि सभी पक्षकार सहमत नहीं है तथा एक साथ उपस्थित नहीं होते है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(2) के तहत सहायक कलक्टर के न्यायालय में वाद दायर कर पक्षकार अपनी भूमि का विभाजन करवा सकते है। हस्तगत् प्रकरण भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(2) के तहत ही वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित व दर्ज अपने 1/3 हिस्सा भूमि के विभाजन की डिक्री बावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा इस आशय का उजर लेना की वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हक हिस्सा नहीं है, तथा उसे भाई बन्ट में उसके पिता के जीवन काल में अन्य भूमि खसरा नंबर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 860, 809 में दी गई है, तथा उस भूमि पर वादी काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि के किसी भू0 भाग पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है, अतः वादी का वाद खारिज किया जावे। अपने जवाब में उल्लेखित भूमि खसरा नंबर 823 से 830 एवं 860, 809 के रेकर्ड ऑफ राईटस जमाबंदी की प्रति पेश नहीं की गई एवं न ही उजर यह बताया गया कि तथा कथित भूमि खसरा नंबर 823 से 830 एवं 860, 809 का विभाजन भी उक्त भूमि के साथ में किया जावे। विधि के प्रावधानो के अनुसार संयुक्त सह खातेदारी की भूमि में इन्च–ईन्च भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है। जिससे प्रतिवादी संख्या–03 द्वारा जवाबदावा में उल्लेखित इस आशय की आपत्ति कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर काश्त व कब्जा नहीं है, विधिक प्रावधानो के विरूद्व होने से अस्वीकार की गई। इसके साथ ही वादी ने भी अपने वादपत्र के साथ प्रदर्श–01 नजरी नक्शा के अनुसार अपना हिस्सा बंट बताते हुये विभाजन की डिक्री जारी किये जाने की मांग की है, वादी द्वारा की गई उक्त मांग को भी अस्वीकार किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349 कुल खसरा–07 कुल रकबा 3.17 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम व गै.मु. कुल लगान 53.75 रूपये के सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2022 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो में विभाजन के समय राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 66, 67, 68 के प्रावधानो तथा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमॉकः रा.म./ न्याय/स्था./ प–51/ 2008/ विविध/ 10546 दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 में वर्णित निर्देशो की पालना करते हुये प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट में आई भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा नंबर, रकवा, किस्म, लगान ईत्यादि दर्शाया जावे। तथा प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते आदि की सुविधाओ को भी ध्यान में रखा जावे। प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि तथा शामलात में रखी गई भूमि को नजरी नक्शे में पृथक–पृथक रंगो से दर्शाया जावे। नजरी नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जावे। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को इन निर्देशो के साथ पालनार्थ भिजवाई गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/640 दिनांक 08.07.2022 से वादी व प्रतिवादीगण के बंट में निम्नानुसार भूमि रखते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकवा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
01	वादी मेगराज पुत्र भीकाराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1342	0.1350	चा.सो. 0.09	1.8000	
				जा.सो.0.0450	0.3150	
		1343	0.1150	चा. III 0.070	1.4000	
				जा. III 0.0450	0.3150	
		1345	0.2800	चा. III 0.2800	5.6000	
		1346	0.2700	चा.III 0.2000	4.0000	
				जा.III 0.0700	0.4900	
		1347	0.0800	चा.III 0.0800	1.6000	
		1349	0.1500	चा.III 0.1500	3.0000	
		06	1.0300	–	18.52	

पेज लगातार 03

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 71/2019 **Gcms No** 2019/00335
अनवान मेगराज बनाम रमेश कुमार वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

02	**प्रतिवादी** उमाशंकर पुत्र भीकाराम हिस्सा 1/8 गणपतलाल पुत्र जेठालाल हिस्सा 3/8 रमेशकुमार पुत्र भीकाराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1342/1 1343/1 1345/1 1346/1 1347/1 1349/1	0.3150 0.2450 0.4800 0.4800 0.2650 0.2800	चा.III 0.2100 जा.III 0.1050 चा.III 0.2200 जा III 0.0250 चा.III 0.4200 जा.III 0.0600 चा.III 0.2200 जा.III 0.2600 चा.III 0.2250 जा.III 0.0400 चा.III 0.2800	4.20 0.7350 4.40 0.1750 8.40 0.42 4.40 1.82 4.50 0.28 5.60	नारंगी रंग
		06	2.0650	—	34.93	
03	**शामलाती भूमि** उमाशंकर पुत्र भीकाराम हि. 1/12 गणपतलाल पुत्र जेठालाल हि. 1/4 मेगराज पुत्र भीकाराम हि. 1/3 रमेशकुमार पुत्र भीकाराम हि. 1/3 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	2325 1347/2 1348	0.15 0.0150 0.0600	जा.अ. 0.15 चा.II 0.0150 गै.मु. बेरा	2.10 0.30 —	हरा रंग

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी पक्ष श्री मूलसिंह यादव ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते समय लिपिकीय त्रुटि से खसरा नंबर 1344 दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि में खसरा नंबर 1344 वादी व प्रतिवादी पक्ष के खातेदारी में ही दर्ज नहीं है, अतः उक्त त्रुटि को दुरस्त करते हुये तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण में विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ओमदवे द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा विभाजन रिपोर्ट तैयार करते समय प्रतिवादीगण को सूचित नहीं किया गया, तथा प्रतिवादी पक्ष की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की है। बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के नहीं किया गया है। बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार वादी व प्रतिवादी को मौके पर कब्जा सुपुर्द करना आवश्यक है, भौतिक रूप से बंटवाडा नहीं किया है। वादी के हिस्से में उपजाऊ भूमि बंटवारा रिपोर्ट में दर्शा दी तथा प्रतिवादीगण के हिस्से पथरीली व बंजर भूमि रख दी। वादग्रस्त भूमि का सभी पक्षकारो के मध्य विभाजन नहीं करते हुये अकेले वादी के हिस्से की भूमि को पृथक किया एवं प्रतिवादीगण की भूमि को शामलात में ही रख दिया है। जो विधिक तौर पर सही नहीं होने से पुनः रिपोर्ट मंगाये जाने की दलील दी गई। इस सबंध में वकील वादी श्री मूलसिंह यादव द्वारा दलील दी गई कि रेकर्ड में दर्ज सभी पक्षकार विभाजन के लिये सहमत नहीं होने से वादी द्वारा उक्त विभाजन का वाद पेश किया है। जिस वाद में पक्षकारो की सुनवाई के पश्चात् विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2022 को जारी की गई है। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश में वर्णित निर्देशो की पालना करते हुये पटवारी हल्का भंदर द्वारा रिपोर्ट तैयार की है, जिसको भूमिधारी तहसीलदार, बाली ने स्वीकार किया है। यदि सभी पक्ष भूमि विभाजन के लिये राजी नहीं है तो वादी को विधिक प्रावधानो के तहत उसके रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन कराने के विधिक अधिकार प्राप्त है। तथा तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भंदर ने भी इसी तथ्य को ध्यान रखते हुये वादी के हिस्से की भूमि को विभाजन में पृथक रखते हुये प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि को अभी संयुक्त साह खातेदारी में ही रखा है। प्रतिवादी पक्ष वादी के हिस्से को हडपने के नियत से विभाजन नहीं होने दे रहे है तथा अनावश्यक आपत्तियाँ प्रस्तुत कर रहे है। अतः आपत्तियों को खारिज करते हुये प्रकरण में प्राथमिक डिक्री में टंकण भूल से अंकित खसरा नंबर 1344 को हटाते हुये तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील वादी द्वारा कानूनी उदहरण RRT 2007(1) पेज 569 से 571 की प्रति पेश भी पेश की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह ज्ञात तथ्य हैं कि वादी की आयु 73 वर्ष के करीब है, जिसके द्वारा रेकर्ड में दर्ज अपने 1/3 हिस्सा के विभाजन का वाद पेश किया है। जिसमें न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् दिनांक 25.04.2022 को प्राथमिक डिक्री भी जारी हो चुकी है।

पेज लगातार 04

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 71/2019 Gcms No 2019/00335
अनवान मेगराज बनाम रमेश कुमार वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील वादी के प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त प्राथमिक डिक्री में टंकण भूल से खसरा नंबर 1344 का अंकन हो गया है, जिसको धारा 152 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार प्राथमिक डिक्री से विलोपित किया जाता है। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का, भन्दर द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें प्रथम दृष्ट्या किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना जाहिर है। परन्तु फिर भी अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष द्वारा अनावश्यक आपत्तिया प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत आपत्तिया तर्क हीन व विधिक प्रावधानो के विपरित तथा सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/640 दिनांक 08.07.2022 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349 कुल खसरा–07 कुल रकबा 3.17 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम व गै.मु. कुल लगान 53.75 रूपये के सवंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्र स	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
01	**वादी** मेगराज पुत्र भीकाराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1342 1343 1345 1346 1347 1349	0.1350 0.1150 0.2800 0.2700 0.0800 0.1500	चा.सो. 0.09 जा.सो.0.0450 चा. III 0.070 जा. III 0.0450 चा. III 0.2800 चा.III 0.2000 जा.III 0.0700 चा.III 0.0800 चा.III 0.1500	1.8000 0.3150 1.4000 0.3150 5.6000 4.0000 0.4900 1.6000 3.0000	[illegible]
		06	1.0300	—	18.52	
02	**प्रतिवादी** उमाशंकर पुत्र भीकाराम हिस्सा 1/8 गणपतलाल पुत्र जेठालाल हिस्सा 3/8 रमेशकुमार पुत्र भीकाराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1342/1 1343/1 1345/1 1346/1 1347/1 1349/1	0.3150 0.2450 0.4800 0.4800 0.2650 0.2800	चा.III 0.2100 जा.III 0.1050 चा.III 0.2200 जा III 0.0250 चा.III 0.4200 जा.III 0.0600 चा.III 0.2200 जा.III 0.2600 चा.III 0.2250 जा.III 0.0400 चा.III 0.2800	4.20 0.7350 4.40 0.1750 8.40 0.42 4.40 1.82 4.50 0.28 5.60	नारंगी रंग
		06	2.0650	—	34.93	
03	**शामलाती भूमि** उमाशंकर पुत्र भीकाराम हि. 1/12 गणपतलाल पुत्र जेठालाल हि. 1/4 मेगराज पुत्र भीकाराम हि. 1/3 रमेशकुमार पुत्र भीकाराम हि. 1/3 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	2325 1347/2 1348	0.15 0.0150 0.0600	जा.अ. 0.15 चा.II 0.0150 गै.मु. बेरा	2.10 0.30 —	हरा रंग

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट गय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 53.75 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो0 ज्यू0 स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भंन्दर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 28-09-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादीः–

मेगराज पुत्र भीकारामजी जाति ब्राहमण
निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रमेश कुमार पुत्र भीकारामजी जाति ब्राहमण
   निवासी भन्दर तह0 बाली हाल रमेश एन्टरप्राइजेज, हीरा महला
   तीसरा माला रूम नं 21 कालबादेवी रोड मुम्बई–2
2. गणपतलाल पुत्र जेठारामजी जाति ब्राहमण
   निवासी भन्दर तहसील बाली हाल राज रतन टेक्सटाईल
   रूम नंबर 299/301 गोदरेज बिल्डिंग, तीसरा माला कालबादेवी रोड मुम्बई–2
3. उमा शंकर पुत्र भीकारामजी जाति ब्राहमण
   निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 71/2019 **Gcms No 2019/00335**

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/640 दिनांक 08.07.2022 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349 कुल खसरा–07 कुल रकबा 3.17 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम व गै.मु. कुल लगान 53.75 रूपये के सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
01	वादी मेगराज पुत्र भीकाराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1342	0.1350	चा.सो. 0.09	1.8000	फ्लोरोसेंट पीला
				जा.सो.0.0450	0.3150	
		1343	0.1150	चा. III 0.070	1.4000	
				जा. III 0.0450	0.3150	
		1345	0.2800	चा. III 0.2800	5.6000	
		1346	0.2700	चा.III 0.2000	4.0000	
				जा.III 0.0700	0.4900	
		1347	0.0800	चा.III 0.0800	1.6000	
		1349	0.1500	चा.III 0.1500	3.0000	
		06	1.0300	–	18.52	
02	प्रतिवादी उमाशंकर पुत्र भीकाराम हिस्सा 1/8 गणपतलाल पुत्र जेठालाल हिस्सा 3/8 रमेशकुमार पुत्र भीकाराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1342/1	0.3150	चा.III 0.2100	4.20	नारंगी रंग
				जा.III 0.1050	0.7350	
		1343/1	0.2450	चा.III 0.2200	4.40	
				जा III 0.0250	0.1750	
		1345/1	0.4800	चा.III 0.4200	8.40	
				जा.III 0.0600	0.42	
		1346/1	0.4800	चा.III 0.2200	4.40	
				जा.III 0.2600	1.82	
		1347/1	0.2650	चा.III 0.2250	4.50	
				जा.III 0.0400	0.28	
		1349/1	0.2800	चा.III 0.2800	5.60	
		06	2.0650	–	34.93	
03	शामलाती भूमि उमाशंकर पुत्र भीकाराम हि. 1/12 गणपतलाल पुत्र जेठालाल हि. 1/4 मेगराज पुत्र भीकाराम हि. 1/3 रमेशकुमार पुत्र भीकाराम हि. 1/3 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	2325	0.15	जा.अ. 0.15	2.10	हरा रंग
		1347/2	0.0150	चा.III 0.0150	0.30	
		1348	0.0600	गै.मु. बेरा	–	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 53.75 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक के बतौर नो0 ज्यू0 स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भंन्दर को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-09-22 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner